



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 ()आकाशि/नि.सं./2024/ 221

दिनांक:- 14/08/24

सचिव/प्राचार्य,
निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:-सत्र 2023-24 हेतु नवीन विषय/संकाय व स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के आवेदन में दिनांक 20.08.2024 तक कमीपूर्ति करने के अंतिम अवसर बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि सत्र 2023-24 के नवीन विषय/संकाय एवं स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन के अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु लंबित प्रकरणों के लिए जिन संस्थाओं ने निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं किए हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि वे निजी महाविद्यालय नीति अनुसार निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करते हुए नोडल महाविद्यालय से प्रमाणित दस्तावेज दिनांक 20.08.2024 तक प्रस्तुत करें अन्यथा कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2023-24 के नवीन विषय/संकाय व स्नातकोत्तर क्रमोन्नयन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्रों के आवेदन स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

आयुक्त
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार, समस्त सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2023-24 के लंबित प्रकरणों से संबंधित दस्तावेजों को प्राथमिकता से प्रमाणित कर हार्ड कॉपी विभागीय आदेश क्रमांक 303 दिनांक 25.11.2020 के अनुसार संस्था के माध्यम से प्रेषित करावें।
3. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर

RajKaj Ref
9702651



Signature valid

Digitally signed by Pankaj Sen
Designation: Commissioner
Date: 2024.08.13 22:33:44 IST
Reason: Approved